राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5233/2022

ज्योति थडानी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.10.2022
आदेश की दिनांक : 05.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गंगरार, चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.01.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिगोद, खालसा, से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के परिपत्र/पत्र दिनांक 14.06.2019, 08.11,2021, 30.04.2022 एवं 23.08.2022 द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) के संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए थे (अनुलग्नक–3 एवं 4)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गंगरार, चित्तौड़गढ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बौरला, आसीन्द, भीलवाड़ा बिना यात्रा भत्ता एवं योगकाल दिए हुए किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था तथा अपीलार्थी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गंगरार, चित्तौड़गढ में विशेष दर्जा प्राप्त विद्यालय था, जिसमें जिन अध्यापकों को पदस्थापित किया गया है, का स्थानान्तरण अन्य विद्यालय में नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गंगरार, चित्तौड़गढ़ में कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील का पुर जोर केविएट प्रस्तुत करते हुए अपील में स्थगन आदेश का पुरजोर विरोध किया गया।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। विभागीय परिपत्र दिनांक 23.08.2022 के बिन्दु संख्या 1 में अंकित किया गया है कि ''इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन को साक्षात्कार से मुक्त रखा जायेगा जिससे इन विद्यालयों में पदस्थापित किये गये शिक्षा अधिकारी सुचारू रूप से विद्यालय को संचालित कर सके।'' इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लगाये जाने वाले तथा पहले से लगाये हुए प्रधानाचार्य के लिए नवीन निर्देश जारी कर दिए गए है तथा उक्त पदों पर स्थानान्तरण के माध्यम से प्रधानाचार्य लगाये जाने को अनुमत्त किया गया है। अतः इस दृष्टि से आलोच्य आदेश में कोई विधिक विसंगति नहीं है। अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है। इस संबंध में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12998/2021 मनीष खींची बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 में वर्णित है किः–

"Heard learned counsel for the petitioner and perused the record.

A perusal of the order dated 14.08.2021 assailed in the appeal reveals that as many as 372 employees were transferred thereunder. Clause 7 at the bottom of the transfer order reads as under:-

"7.I" (3 of 3) [CW-12998/2021] By Clause 7, it was meant that whoseoever is transferred on his request, is disentitled for TA/DA and by no stretch of imagination it can be held that all the employees under transfer vide order dated 14.8.2021, were disentitled for payment of TA/DA. This aspect has been appreciated by the learned Tribunal while passing the order dated 22.10.2021. Even otherwise also, judgment of Coordinate Bench of this Court in case of Sharwan Kumar Prajapat versus State of Rajasthan, SB Civil Writ Peition No. 7341/2020, says that an order of transfer cannot be set aside

merely because no TA/DA has been made payable even if the transfer was not on his request, which can always be directed to be paid.

In view thereof, this Court does not find any perversity or illegality in the order impugned dated 22.10.2021 warranting interference of this Court.

The writ petition is dismissed accordingly."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में भी यह विनिश्चय किया गया है कि स्थानान्तरण आदेश में यात्रा भत्ता आदि दिए जाने के उल्लेख नहीं किए जाने मात्र से स्थानान्तरण आदेश दोषयुक्त नहीं माना जा सकता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों की रोशनी में आलोच्य आदेश में यात्रा भत्ता देय होने के बारे में अंकन नहीं होने के कारण दोषयुक्त नहीं माना जा सकता है। अतः अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के संबंध में स्थगन का आधार नहीं है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग विभाग को आदेश दिए जाते है कि अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल संबंधित नियमों के अनुसार देय होगा। अतः नियमानुसार दिए जाने की कार्यवाही की जावे।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य